कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023/ 1956 दिनांकः– 18.01.2023

प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष, भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 जनवरी 2023 दोपहर पश्चात् 04:00 बजे अयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य /अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 किस्म बारानी चतुर्थ में श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 किस्म बारानी चतुर्थ में श्मशान प्रयोजनार्थ आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 किस्म बारानी चतुर्थ में श्मशान प्रयोजनार्थ 02 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 रकबा 136–034 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर स्वामित्व की भूमि है तथा प्रस्तावित भूमि मौके पर श्मशान के रूप में उपयोग में आ रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। एम डी पी 2031 बिन्दु सख्या 5.6.5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 कुल रकबा 02 बीघा श्मशान भूमि हेतु पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 23/06/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्राधिकरण पटवारी एवं राजस्व पटवारी से ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 में पुर्व में कितनी भूमि श्मशान हेतु आवंटित है एवं कितने स्थानों पर आवंटित है के संबंध में सयुक्त रिपोर्ट ली गई।

प्राधिकरण एवं राजस्व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा सख्या 01 में उपस्थितों ने बताया की पिछले लगभग 40 वर्षो से यहा पर श्मशान हेतु जमीन उपयोग में ली जा रही है। मौके पर वर्तमान में मुटाम पाया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम बडा कोटेचा खुर्द के खसरा संख्या 01 रकबा 22 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बारानी खातेदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम बडा कोटेचा खुर्द में पूर्व में श्मशान हेतु कोई भी भूमि ना आवंटित हुई है ना रिकॉर्ड में है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार श्मशान/कब्रिस्तान हेतु संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षैत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षैत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन कि जा सकती है। अतः ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 में सार्वजनिक श्मशान हेतु

Scanned with CamScanner

3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 01 किस्म बारानी चतुर्थ में श्मशान प्रयोजनार्थ हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम चैनसिंह नगर के खसरा संख्या 18 किस्म गै. मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 रकबा 246–19 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान हेतु 2 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 रकबा 246–19 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकार्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है तथा मौके पर बाढ बनाकर लगभग 3 बीघा भूमि वर्तमान में सार्वजनिक श्मशान हेतु उपयोग में आ रही है जिसमें एक टांका व कमरा (लकडी गोदाम) बना हुआ है।

प्राधिकरण पत्रांक 1267–1269 दिनांक 23.09.2022 के द्वारा प्राधिकरण पटवारी एवं राजस्व पटवारी से ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा में पुर्व में कितनी भूमि श्मशान हेतु आवंटित है एवं कितने स्थानों पर आवंटित है के संबंध में संयुक्त रिपोर्ट ली गई।

प्राधिकरण एवं राजस्व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर के खसरा सख्या 18 में उपस्थितों ने बताया की पीछले लगभग 30 वर्षो से यहा पर श्मशान हेतु जमीन उपयोग में ली जा रही है। मौके पर वर्तमान में लगभग 3 बीघा में चार दिवारी कर लकडी गोदाम व पक्का टांका का निर्माण किया हुआ है। ग्राम चैनसिहं नगर के खसरा सख्या 52 रकबा 0.2023 है व खसरा सख्या 49 रकबा 0.8094 हेक्टर भूमि कुल 01.0117 हेक्टर भूमि गै.मु.गोचर श्मशान के नाम दर्ज है। पूर्व में आवटिंत श्मशान राजस्व ग्राम बालरवा के नजदीक है व इनकी दुरी खसरा सख्या 18 में बने श्मशान से लगभग 3.15 कि.मी है। उपस्थितों ने बताया की प्रस्तावित श्मशान दाह सस्कार में जलाने हेतु काम मे लिया जा रहा है। जबकी उपस्थितो मे बताया की उक्त पुर्व में आवंटित श्मशान शव गाडने हेतु काम मे लिया जाता था। प्रस्तावित श्मशान ग्राम चैनसिंह के नजदीक है। प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम चैनसिंह में पूर्व में श्मशान हेतु कोई भूमि आवंटित नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान की पुस्तिका के बिन्दु संख्या 5.6.5 अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलो को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकता हेतु उपयुक्त स्थलो का चयन कर यू–1, यू–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकेंगे।

जो

Scanned with CamScanner

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 18 ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे से संबंधित कोई पत्रावली शाखा में विचाराधीन नही है। उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22/06/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार श्मशान / कब्रिस्तान हेतु संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षैत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षैत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन कि जा सकती है। अतः ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: सरस्वती शिक्षण संस्थान को खसरा संख्या 88 ग्राम बडली में विघालय हेतु आवंटित भूमि के स्थान पर इसी खसरें में अन्य स्थान पर आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/79725	सरस्वती शिक्षण संस्थान को खसरा संख्या 88 ग्राम बडली में विघालय हेतु आवंटित भूमि के स्थान पर इसी खसरें में अन्य स्थान पर आवंटन के सम्बन्ध में।

सरस्वती शिक्षण संस्थान को तत्कालीन नगर विकास न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 04.12.2007 के प्रस्ताव संख्या 21 द्वारा ग्रामबडली के खसरा संख्या 88 में विद्यालय प्रयोजन हेतु 4000 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन पत्र दिनांक 16.06.2008 को जारी किया जा चूका है। संस्था द्वारा आवंटित भूमि के पेटे 14,44000/— रूपये जमा करवाये जा चूके है।

राज्य सरकार के पत्रांक प3 (373)नविवि/3/2009 दिनांक 22.06.2010 द्वारा खसरा संख्या 88 ग्राम बडली में राजस्थान आवासन मण्डल को 1100 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित 1100 बीघा भूमि में से 990 बीघा भूमि का ही कब्जा सुपुर्द किया जा सका क्योंकि तत्कालीन न्यास द्वारा उक्त भूमि में ही अन्य संस्थानों को भूमि आंवटन कर दिया गया है।

राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित भूमि में तत्कालीन न्यास द्वारा सरस्वती शिक्षण संस्थान को आवंटित भूमि को भी आ जाने के कारण सरस्वती शिक्षण संस्थान को खसरा संख्या 88 ग्राम बडली में ही अन्य स्थान पर आवंटन किये जाने हेतु प्राधिकरण के पटवारी द्वारा पत्रावली के पेरा संख्या 175 में अंकित रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा अनुसार प्रस्तावित भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण में दस्तावेजों की पूर्ति करते हुवे प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ /निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रा. उ. मा. विद्यालय हेतु ग्राम संतोड़ा खुर्द के खसरा सं. 135 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 16.0660 हैक्टर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है तथा मौके पर विद्यालय भवन बना है व विद्यालय संचालित हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एमडीपी–2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र एमडीपी–2031 की ओसीआर अनुसार 24 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर प्राइमरी स्कुल, प्ले ग्राउण्ड अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 24.11.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 कुल रकबा 10 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 4000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 6000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर, द्वारा ग्राम संतोडा खुर्द खसरा संख्या 135 किस्म गै. मु. गोचर कुल रकबा 16.0660 हैक्टर में से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 10 बीघा भूमि आवंटन का आवेदन किया है। 4000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 किस्म गै. मु. गोचर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से महिला पुलिस थाना एवं विवेक विहार पुलिस थाना प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

थानाधिकारी महिला पुलिस थाना एवं थानाधिकारी विवेक विहार पुलिस थाना, जोधपुर कमिश्नरेट ;पश्चिमद्ध द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से महिला पुलिस थाना एवं विवेक विहार पुलिस थाना प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से भूमि आवंटन का चयन किया गया है। उक्त भूमि मौके पर कनिष्ठ अभियंता की मौका फर्द अनुसार आवंटन योग्य लगभग 3200 वर्गमीटर प्राप्त हो रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि में से महिला पुलिस थाना एवं विवेक विहार पुलिस थाना प्रयोजनार्थ आवंटन योग्य भूमि का डिमार्केशन प्रस्तावित प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयो जनार्थ आरक्षित भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संबंध में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा पुलिस थाना प्रयोजनार्थ 2,000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में गर्वमेन्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से महिला पुलिस थाना एवं विवेक विहार थाना प्रयोजनार्थ आवंटन योग्य 3,200 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार महिला पुलिस थाना हेतु 1600 वर्गमीटर (भूखण्ड संख्या 01) एंव विवेक विहार पुलिस थाना हेतु 1600 वर्गमीटर (भूखण्ड संख्या 02) भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त भूखण्डों में आवागमन 100 फुट रोड पर से रहेगा।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 6 :: **प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।**

उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण) द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवेदित/प्रस्तावित स्थल के क्रम में नगरीय विकास विभाग आदेश दिनांक 19.07.2018 अनुसार प्राधिकरण की अनुमोदित योजना जिनमें सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित नहीं एवं योजना की भूमि मौके पर खाली/अविकसित/अर्द्धविकसित है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अंतिम उपयोग सक्षम अधिकारी/ले–आउट प्लान समिति द्वारा उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाने का उल्लेख है। जिसके संबंध में प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ ब्लॉक के अंतिम उपयोग हेतु जोन से प्राप्त प्रस्ताव व मानचित्र अनुसार राजकीय कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ योजना के पार्ट योजना प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संबंध में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपखण्ड स्तरीय कार्यालय प्रयोजनार्थ 5,000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ 5,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में पूर्व में सरकारी कार्यालय एंव पुलिस स्टेशन हेतु कार्यकारी समिति दिनांक 16 जून 2022 के प्रस्ताव सं. 02 के निर्णय को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से विवेक विहार योजना में सेक्टर–सी में ओसीएफ में 5000 वर्गमीटर (भूखण्ड –डी) आवंटित करने निर्णय लिया जाकर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: **प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एटीएस कार्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।**

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एटीएस यूनिट कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार एटीएस यूनिट कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवेदित/प्रस्तावित स्थल के क्रम में नगरीय विकास विभाग आदेश दिनांक 19.07.2018 अनुसार प्राधिकरण की अनुमोदित योजना जिनमें सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित नहीं एवं योजना की भूमि मौके पर खाली/अविकसित/अर्द्धविकसित है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अंतिम उपयोग सक्षम अधिकारी/ले–आउट प्लान समिति द्वारा उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाने का उल्लेख है। जिसके संबंध में प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ ब्लॉक के अंतिम उपयोग हेतु जोन से प्राप्त प्रस्ताव व मानचित्र अनुसार राजकीय कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ योजना के पार्ट योजना प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के खसरा संख्या 213, 214, 215 व 218 ग्राम कुड़ी भगतासनी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एटीएस कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ 1,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस के कार्यालय प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर (भूखण्ड संख्या –ए) भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त भूखण्ड में आवागमन 100 फुट रोड पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एसओजी यूनिट कार्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एसओजी यूनिट कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार एसओजी यूनिट कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

Scanned with CamScanner

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवेदित/प्रस्तावित स्थल के क्रम में नगरीय विकास विभाग आदेश दिनांक 19.07.2018 अनुसार प्राधिकरण की अनुमोदित योजना जिनमें सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित नहीं एवं योजना की भूमि मौके पर खाली/अविकसित/अर्द्धविकसित है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अंतिम उपयोग सक्षम अधिकारी/ले-आउट प्लान समिति द्वारा उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाने का उल्लेख है। जिसके संबंध में प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में विवेक विहार योजना के सेक्टर-सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ ब्लॉक के अंतिम उपयोग हेतु जोन से प्राप्त प्रस्ताव व मानचित्र अनुसार राजकीय कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ योजना के पार्ट योजना प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर-सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के खसरा संख्या 213, 214, 215 व 218 ग्राम कुड़ी भगतासनी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 201 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर-सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अद्यीक्षक के एसओजी यूनिट के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ 1,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अद्यीक्षक के एसओजी यूनिट कार्यालय प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर (भूखण्ड संख्या –सी) भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त भूखण्ड में आवागमन 100 फुट रोड पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 9 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अद्यीक्षक विधि प्रकोष्ठ के लीगल सेल हाईकोर्ट, जोधपुर के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

अतिरिक्त पुलिस अद्यीक्षक जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर-सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अद्यीक्षक विधि प्रकोष्ठ के लीगल सेल हाईकोर्ट, जोधपुर के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार लीगल सेल हाईकोर्ट जोधपुर के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवेदित/प्रस्तावित स्थल के क्रम में नगरीय विकास विभाग आदेश दिनांक 19.07.2018 अनुसार प्राधिकरण की अनुमोदित योजना जिनमें सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित नहीं एवं योजना की भूमि मौके पर खाली/अविकसित/अर्द्धविकसित है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अंतिम उपयोग सक्षम

Scanned with CamScanner

अधिकारी/ले–आउट प्लान समिति द्वारा उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाने का उल्लेख है। जिसके संबंध में प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ ब्लॉक के अंतिम उपयोग हेतु जोन से प्राप्त प्रस्ताव व मानचित्र अनुसार राजकीय कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ योजना के पार्ट योजना प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के खसरा संख्या 213, 214, 215 व 218 ग्राम कुड़ी भगतासनी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 200 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के लीगल सेल, हाईकोर्ट जोधपुर के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ 1,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विधि प्रकोष्ठ के लीगल सेल हाईकोर्ट, जोधपुर के कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर (भूखण्ड संख्या –बी) भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त भूखण्ड में आवागमन 100 फुट रोड पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 10 :: सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को नवीन विश्वविद्यालय मेडिकल की स्थापना एंव चिकित्सा सुविधाओं विस्तार हेतु ग्राम बोरावास के खसरा सं 1, 2, 3 में 100 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के निर्णय बाबत।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को नवीन विश्वविद्यालय मेडिकल की स्थापना एंव चिकित्सा सुविधाओं विस्तार हेतु ग्राम बोरावास के खसरा सं 1, 2, 3 में 100 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन	सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को नवीन विश्वविद्यालय मेडिकल की स्थापना एंव चिकित्सा सुविधाओं विस्तार हेतु ग्राम बोरावास के खसरा सं 1, 2, 3 में 100 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक द्वारा भूमि आवंटन नीति'–2015 के तहत निर्धारित प्रारूप में दिनांक 12.10.2022 को प्रपत्र स में आवेदन कर मेडिकल सेवा विस्तार हेतु खसरा संख्या 1, 2, 3 राजस्व ग्राम बोरावास किस्म गै.मु गोचर रकबा 156.01 बीघा भूमि चाही गई है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोरावास के खसरा सं 1, 2, 3 में कुल 100 बीघा भूमि रिक्त है। खसरा सं 1 में अनुमानित अनुसार 40 बीघा में गौशाला एवं गौशाला मैदान निर्मित हैं एवं आंगणवा भोपालगढ रोड निकल रही है उपरोक्त भूमि मे से एच.टी. लाईन निकल रही हैं। उपरोक्त भूमि जोधपुर रेल्वे स्टेशन से 18 किमी लगभग एवं पावटा सैटेलाईट अस्पताल एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से

Scanned with CamScanner

अनुमानित 13 किमी दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि का गूगल ईमेज पर लोकेशन अंकित कर पत्रावली में संलग्न कर दी गयी है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार मार्क लोकेशन अनुसार का भू–उपयोग ZDP अनुसार आंशिक आवासीय एवं आंशिक पब्लिक एवं सेमी पब्लिक (स्कूल) ग्रीन ऐरिया (आंशिक) में 48 मीटर Proposed ZDP सड़क पर स्थित है। ZDP मार्क लोकेशन पर 220 केवी की एच टी लाईन अंकित है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार राज्य के समस्त शहरो के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान मं प्रस्तावित भू–उपयोग यथा पार्क, खुले स्थल इत्यादि एवं समय समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर नगरीय क्षेत्र में अन्य सभी भू'उपयोगों में राजकीय चिकित्सा सुविधाए अनुज्ञेय है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण की वेबसाईट पर आम सूचना जारी की गई, उक्त आम सूचना के पश्चात कोई आपत्ति नही आई है।

अतः ग्रीन जोन को छोड़ते हुए शेष भूमि एस. एन मेंडिकल कॉलेज को चिकित्सा सुविधा विस्तार हेतु 100 बीघा भूमि राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रावधान अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावानुसार प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: आवेदक श्रीमती डीम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह माली द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3, 240/4 का औधोगिक प्रयोजनार्थ का रकबा 02–09–04 बीघा नियमन हेतु आवेदन पर रास्ते हेतु भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	आवेदक श्रीमती डीम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह माली द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3, 240/4 का औधोगिक प्रयोजनार्थ का रकबा 02–09–04 बीघा नियमन हेतु आवेदन पर रास्ते हेतु भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

आवेदक आवेदक श्रीमती डीम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह माली द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3 व 240/4 का औधोगिक प्रयोजनार्थ का रकबा 02–09–04 बीघा नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित शाखाओं रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3 व 240/4 में आवेदित भूमि व सडक के मध्य खसरा संख्या 258 प्राधिकरण की स्वामित्व की भूमि है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 258 जोकि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि का रकबा 221.64 वर्गमीटर का रास्ते हेतु आवंटन करने का निवेदन है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रकरण में प्रार्थी को 221.64 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु आवंटन वास्ते प्रकरण भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रकरण में आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति का अभी तक निस्तारण नही हुआ है। अतः बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राप्त आपत्ति का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/ 1957-62 दिनांकः– 18.01.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में बतौर सदस्य उपस्थित होने हेतुः–

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव/प्रभारी अधिकारी (भूमि)/प्रभारी अधिकारी ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

18/1/23
(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with CamScanner